न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सौम्या झा
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 03/2021 अंतर्गत धारा 3 जी(5) रा.रा.अ.

1. दिनेशसिंह पुत्र ओंकारसिंह
2. कमलेशसिंह पुत्र ओंकार सिंह
3. राजेशसिंह पुत्र ओंकारसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर लालसोट
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतमाला परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी आर्बिट्रेशन एक्ट विरूद्ध अवार्ड आदेश भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर लालसोट व आपत्ति प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 19.11.2019

उपस्थित– 1. श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 26.05.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर लालसोट द्वारा ग्राम बडका पाडा के खसरा नंबर 38 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियागया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब कियागया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम बडका पाडा तह० लालसोट में आराजी खसरा नम्बर 38 गै० मु० आबादी स्थित है उक्त भूमि में से प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत चौण्डियावास द्वारा दिनांक 20–07–2018 को तीन पट्टे प्रार्थी सं० 1 का उत्तरी भुजा 33 फीट 4 इंच व दक्षिण भुजा 33 फिट 4 इंच पश्चिमी व पूर्वी भुजा 35 फीट 6 इंच तीनों ही पट्टे उक्त नाप के विधिवत रूप से प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये उक्त भूमि में से अप्रार्थी सं० 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन में भूमि अवाप्त की गई है परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को विधिवत रूप से पट्टे जारी किये गये है इसलिए प्रार्थीयान को अवाप्तिशुदा का स्वामी व मालिक है। प्रार्थीगण की ओर से भू अवाप्ति अधिकारी को एक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 19–11–19 को भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट के यहां सारे तथ्यों दस्तावेज पेश किये कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पट्टाशुदा भूमि है इसलिए अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को ही दिलवाया जावे परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन आरबीट्रेटर्स श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा के यहां अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त भू अवाप्ति अधिकारी का आदेश कतई अवैधानिक है क्योंकि भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा तमाम तथ्यों व दस्तावेजात पर कोई विचार ही नहीं किया गया इसलिए भू अवाप्ति अधिकारी के आदेश के

जिला कलेक्टर.दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। भू अवाप्ति अधिकारी का आदेश खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थीयान की आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों व दस्तावेजात का कोई अवलोकन ही नहीं किया और ना ही उन पर विचार किया और प्रार्थना पत्र खारिज करने में गलती की है। दस्तावेजात से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अवाप्तिशुदा भूमि प्रार्थी की पट्टाशुदा व कब्जाशुदा भूमि है जिसका विधिवत रूप से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है इससे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को ही दिया जाना न्याय संगत है परन्तु अधि० भू अवाप्ति अधिकारी ने कोई विचार ही नहीं किया केवल मात्र आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि वह आरबीट्रेटर्स भू अवाप्ति अधिकारी दौसा के यहां से अनुतोष प्राप्त कर सकता है जबकि भू अवाप्ति अधिकारी को आपत्ति प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों पर विचार कर ही निर्णय पारित करना चाहिए था इसलिए भू अवाप्ति अधिकारी के आदेश कानून व तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। कानूनन व नियमानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी को वास्तविक स्वामी व मालिक को मुआवजा देना चाहिए था।प्रार्थीगण ग्रामीण व्यक्ति है कानून की बारीकियो को नहीं समझते है। कोरोनाकाल की वजह से प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके अब कुछ छूट मिलने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थीयान को ही देने की कृपा करे तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने ग्राम बडका पाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 38 राजकीय भूमि है जिसका विधिवत रूप से अवार्ड आदेश पारित कियागया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है, तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन, चौडा करने, 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही कर 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है, जिसके पश्चात् ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. (दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (आठलेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी, लालसोट (दौसा) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राजमार्ग संख्या 148 एन के 210 कि.मी. से 236

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि. मी. तक (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना का.आ. 4325 (अ) दिनांक 05.09.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 06.09.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का.आ. 4325 दिनांक 05.09. 2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर औरराष्ट्रदूत में दिनांक 19.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना में खसरा नम्बर 38 सरकारी, किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट जिला दौसा दर्ज थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 1202 (अ) दिनांक 07.03.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 08.03.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनो में दिनांक 31.05.2019 के अंको में प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि खसरा नम्बर 38 की 0.0679 हैक्टेयर की किस्म गै. मु. आबादी, सरकारी, राजस्थान सरकार वाके ग्राम बडका पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 38 की 0.0679 हैक्टेयर की किस्म गै. मु. आबादी, सरकारी, राजस्थान सरकार वाके ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। उक्त धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय–सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में स्वामित्व का प्रश्न उठाया है जिसे निर्णित करने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है व विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारीत कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दूओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में निर्धारित मुआवजा राशि के कम ज्यादा के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत ही कार्यवाही कर सकता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों से परे प्रस्तुत किया जाने के कारण न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना–पत्र पर श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने योग्य है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमाण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सरासर झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तथाकथित पट्टा दिनांकित 20.07.2018 के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है। उनको प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सही नही बताया गया है। इसी प्रकार के पट्टो के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकरी नांगल राजावतान, जिला कलेक्टर महोदय, दौसा एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर के समक्ष शिकायतकर्ताओ द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की गयी उक्त शिकायतों में पट्टेधारकों के विरूद्ध जालसाजी कर ग्राम पंचायत से फर्जी पट्टे बनावाकर दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे की मुआवजा राशि हडपने के सम्बन्ध में तथ्य अंकित किये गये हैं। उक्त शिकायतों पर पट्टों पर जॉच के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रांक मु. म.–संस (एलएस) प. 2/कले. दौसा/जय/20/13304 एवं श्रीमान जिला कलेक्टर के पत्रांक राजस्व/मूल/2020/1695 दिनांक 20.05.2020 के द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार कार्यालय पंचायत समिति लवाण (दौसा) एवं कार्यालय जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) दौसा ने तथाकथित पट्टों के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन/तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय, दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। जिसमें जिसमें ग्राम पंचायत चूडियावास तत्कालीन सरपंच श्रीमती काली देवी मीना व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी चन्द्रशेखर परेवा को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सरासर झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में तथाकथित पट्टा दिनांकित 20.07.2018 के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है। उनको प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सही नही बताया गया है। इसी प्रकार के पट्टो के सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्ड अधिकरी नांगल राजावतान, जिला कलेक्टर महोदय, दौसा एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर के समक्ष शिकायतकर्ताओ द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की गयी उक्त शिकायतों में पट्टेधारकों के विरूद्ध जालसाजी कर ग्राम पंचायत से फर्जी पट्टे बनावाकर दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे की मुआवजा राशि हडपने के सम्बन्ध में तथ्य अंकित किये गये हैं । प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 38 की 0.0679 हैक्टेयर की किस्म गै. मु. आबादी, सरकारी, राजस्थान सरकार वाके ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अवाप्त भूमि के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मियाद बाहर पेश की गई है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड जारी किया गया है जो सही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज योग्य है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन कियागया। पत्रावली का अवलोकन कियागया।

8. प्रकरण में मूल विवाद इस बिन्दु पर है, कि प्रार्थी को जारी किये गये पट्टे दिनांक 20.7.2018 के अनुरूप मुआवजे का निर्धारण किया जावे ना कि उक्त भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए मुआवजे का निर्धारण किया जावे। इस संबंध में अप्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कथन है कि उक्त पट्टे 3 ए के प्रकाशन जो कि दिनांक 19.9.2018 को किया गया है। हमने पत्रावली में संलग्न पट्टो की छाया प्रति दिनांक 20.7.2018 जो कि प्रार्थीगण कमलेश सिंह, दिनेश सिंह एवं राजेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिंह पि. ओकार सिंह जाति राजपूत निवासी बडका पाडा को ग्राम पंचायत चौंडियावास द्वारा जारी किये गये है का अवलोकन किया गया। उक्त पट्टे में कहीं पर भी खसरा नंबर का अंकन नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि जिस भूमि को भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा अवाप्त किया गया है वह प्रार्थीगण को जारी पट्टे की भूमि है। साथ ही पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, ना कि प्रमाणित प्रति जिससे पट्टे की वैधता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है साथ ही प्रस्तुत पटटा रजिस्टर्ड भी नहीं है। प्रार्थी यह भी सिद्ध करने में असफल रहे है कि उन्होंने 3 ए की अधिसूचना एवं 3 सी के तहत उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति समय रहते भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण इस तथ्य को भी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण को जारी पट्टेशुदा भूमि में स्थित है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official